अन्धे, बहरे और मानसिक दृष्टि से अविकसित व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं

5654. **श्री युवराज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धे, बहरे और मानसिक दृष्टि से अविकसित एवं विकलांग व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय संस्थाओं में विस्तार किया गया है और उनमें सुधार किये गये हैं और यदि हां, तो उनसे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ; और

(ख) बिहार में उनकी संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि मिली और कितनी धनराशि बिना उपयोग किये वापस कर दी गयी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख). सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अब तक कोई भी राष्ट्रीय संस्थान स्थापित नहीं किया है । दृष्टिहीन, बधिर, अपंग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए एक-एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का विचार है । इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में अनुसंधान कराना या करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा विशेष पुस्तकों, उपकरणों, शैक्षणिक सामग्री तथा अध्यापन सम्बन्धी सहायक साधनों का निर्माण करना तथा उनका वितरण करना है ।

जल विज्ञान का अध्ययन

5655. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के साधनों की संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकारों को जल विज्ञान संबंधी अध्ययन करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने अब तक अपने प्रतिवेदन भेज दिए हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, हां । राज्य सरकारों को परियोजनाओं को तैयार करने के लिए जल-वैज्ञानिक आंकड़े आदि जिनमें सिंचाई के साधनों संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं, एकत्र करने के लिए समय-समय पर लिखा गया है । राज्य सरकारों पर यह भी जोर डाला गया है कि जहां भी संभव हो, इष्टतम उपयोग के लिए भू-तल और भूगत जल का संयुक्त समुपयोजन किया जाए ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए कई परियोजनाएं भेजी हैं । केन्द्रीय जल आयोग में जल विज्ञान के विशेष संदर्भ में, इनकी जांच की जाती है । जांच के दौरान जल उपलब्धता तलछट, कार्यचालन तालिकाओं, बाढ़ के डिजाइन जलशायों में होने वाले वाष्पीकरण आदि की विस्तृत जांच की जाती है और यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो किए जाते हैं । कुछ मामलों में, केन्द्र संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए विस्तृत जल-वैज्ञानिक अध्ययन करता है और ऐसे अध्ययन भी अपने हाथ में लेता है जिनका अनुरोध राज्य-प्राधिकरणों द्वारा किया जाए । उसके पश्चात् परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए उन पर और आगे विचार किया जाता है ।

Use of Power Tillers

5656. SHRI VENUGOPAL GOUNDER: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number of farmers using power tillers in India and in Tamil Nadu during the last three years;